

अज अदालत

उप तहसीलदार मुकाम बीकानेर

सरकार .....

बनाम

श्री रामराम पुत्र श्री शंकर

किस्म मुकदमा एल आर एक्ट 1956 की धारा 91

प्रकरण सं. ५ सन् २०१५

~~फसल खरीफ/रबी~~ <sup>अमान/दादा</sup> सम्वत् २०७५

28.12.17

आज पत्रावली प्रस्तुत हुई अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित पत्रावली निर्णय पर ली गयी।

## निर्णय

पटवारी हल्का अनूप/दादा की रिपोर्ट पर ग्राम अनूप/दादा

में राजकीय भूमि आराजीराज पर निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन पर काश्तकार ने जबाव प्रस्तुत किया

गया/प्रस्तुत करने में असफल रहा। सम्वत् 2074 में फसल

रबी/खरीफ में ग्राम अनूप/दादा में स्थित खसरा नम्बर 29

किस्म दादा तादादी 0.25 <sup>है</sup> बिस्वा आराजी राज भूमि

पर जिन अमान/दादा की अमान कर श्री रामराम

पुत्र शंकर जाति भैरव निवासी अनूप/दादा ने

अतिचार किया। अप्रार्थी अपने इस अतिचार करने का विधीसम्मत

अधिकार प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः श्री श्री रामराम

पुत्र शंकर जाति भैरव निवासी अनूप/दादा को

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत

अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

ग्राम अनूप/दादा में स्थित खसरा नम्बर 29 किस्म दादा

तादादी 0.25 <sup>है</sup> बिस्वा आराजी राज भूमि पर

जिन अमान/दादा की अमान कर श्री रामराम

कर निरीक्षक भू अमिलेख, नापा को निलामी हेतु आदेशित

किया जाता है। ~~यदि फसल उठा ली गयी है तो कुन्ता नाम कर~~

~~राशि वसूल कर स्वजाने राज जमा करवायी जावे।~~